316887/2024/Finance Section-7
/229367/2024

संख्याः–229367/XXVII(7) इ–67491/2024

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7

देहरादूनः 01, ~~जुलाई~~ अगस्त, 2024

विषयः–वाह्य सहायतित परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–86/XXVII(7)36/2010–11/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य में वाह्य सहायतित परियोजनाओं की स्वीकृति, संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु पूरे राज्य के लिए एक समान व्यवस्था बनाये जाने के दृष्टिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में व्यवस्था का निर्धारण किया गया है।

2– शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाह्य सहायतित परियोजनाओं के प्रभावी कियान्वयन/अनुश्रवण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2019 के प्रस्तर–3 तथा प्रस्तर–9 की सारणी के क्रमांक–7 एवं 13 में उल्लिखित प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

(क) प्रस्तर–03:–

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
"HPC/ Steering Committee, EFC एवं TAC हेतु पृथक से अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसके तहत् किसी भी प्रोजेक्ट की ई0एफ0सी0 एवं टी0ए0सी0 की प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान करेगी। इस कार्य हेतु सचिव नियोजन की अध्यक्षता में एक Technical Screening Committee EAP का गठन किया जाएगा, जो प्रस्तुत होने वाली डी0पी0आर0 का मूल्यांकन कर Environmental & Social Safeguard के मापदण्डों की भी जांच करेगी	"HPC /Steering Committee, EFC एवं TAC हेतु पृथक से अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे, जो किसी भी प्रोजेक्ट की ई0एफ0सी0 एवं टी0ए0सी0 की प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान करेगी। इस कार्य हेतु सचिव नियोजन की अध्यक्षता में एक Technical Screening Committee EAP का गठन किया जाएगा, जो प्रस्तुत होने वाली डी0पी0आर0 का मूल्यांकन कर Environmental & Social Safeguard के मापदण्डों की भी जांच करेगी

316887/2024/Finance Section-7
/229367/2024

संख्याः–229367/XXVII(7) ई–67491/2024

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7

देहरादूनः 01, ~~जुलाई~~ अगस्त, 2024

विषयः–वाह्य सहायतित परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–86/XXVII(7)36/2010–11/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य में वाह्य सहायतित परियोजनाओं की स्वीकृति, संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु पूरे राज्य के लिए एक समान व्यवस्था बनाये जाने के दृष्टिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में व्यवस्था का निर्धारण किया गया है।

2– शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाह्य सहायतित परियोजनाओं के प्रभावी कियान्वयन/अनुश्रवण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2019 के प्रस्तर–3 तथा प्रस्तर–9 की सारणी के क्रमांक–7 एवं 13 में उल्लिखित प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

(क) प्रस्तर–03:–

वर्तमान **प्रावधान**	संशोधित **प्रावधान**
"HPC/ Steering Committee, EFC एवं TAC हेतु पृथक से अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे जिसके तहत् किसी भी प्रोजेक्ट की ई0एफ0सी0 एवं टी0ए0सी0 की प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान करेगी। इस कार्य हेतु सचिव नियोजन की अध्यक्षता में एक Technical Screening Committee EAP का गठन किया जाएगा, जो प्रस्तुत होने वाली डी0पी0आर0 का मूल्यांकन कर Environmental & Social Safeguard के मापदण्डों की भी जांच करेगी	"HPC /Steering Committee, EFC एवं TAC हेतु पृथक से अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे, जो किसी भी प्रोजेक्ट की ई0एफ0सी0 एवं टी0ए0सी0 की प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान करेगी। इस कार्य हेतु सचिव नियोजन की अध्यक्षता में एक Technical Screening Committee EAP का गठन किया जाएगा, जो प्रस्तुत होने वाली डी0पी0आर0 का मूल्यांकन कर Environmental & Social Safeguard के मापदण्डों की भी जांच करेगी

तथा HPC/Steering Committee के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी। **Technical Screening Committee EAP** का गठन निम्न प्रकार होगा– 1. सचिव,नियोजन – अध्यक्ष 2. शासन के वित्त विभाग में टी0ए0सी0 का प्रतिनिधि – सदस्य 3. नियोजन विभाग के अन्तर्गत ई0एफ0सी0 का नोडल अधिकारी – सदस्य 4.सम्बन्धित योजना के परियोजना निदेशक – सदस्य 5. अन्य सदस्य, जिन्हें Technical Screening Committee EAP आवश्यक समझे।	तथा HPC/Steering Committee के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी। इस आदेश के प्रस्तर–9 में अंकित सारणी के क्रमांक–7 एवं 13 पर उल्लिखित स्थितियों में किसी भी कारण से कार्य/परियोजना की आगणित (estimated)/स्वीकृत (sanctioned) लागत के 10% से अधिक अथवा रू0 5.00 करोड़ से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित हो तो ऐसी किसी भी दशा में वृद्धि के प्रस्ताव का परीक्षण भी Technical Screening Committee EAP द्वारा किया जाएगा। **Technical Screening Committee EAP** का गठन निम्न प्रकार होगा– 1.सचिव, नियोजन – अध्यक्ष 2.शासन के वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य 3.शासन के नियोजन विभाग से टी0ए0सी0 का प्रतिनिधि – सदस्य 4.नियोजन विभाग के अन्तर्गत ई0एफ0सी0 का नोडल अधिकारी – सदस्य 5.सम्बन्धित योजना के परियोजना निदेशक – सदस्य 6. अन्य सदस्य, जिन्हें Technical Screening Committee EAP आवश्यक समझे।

(ख) प्रस्तर–9 :–

Sl. No.	Particulars	Powers to whom delegated	Financial Limits (Existing)	Revised Financial Limit
1	2	3	4	5
7	Awards of Contract	Project director, PMU or delegated Officer after recommendation form Tender Evaluation Committee	Full powers up to maximum of 10% variation over estimated cost. Beyond 10% variation over estimated cost, approval of HPC/Steering Committee is	Full powers up to maximum of 10% variation over estimated cost. Beyond 10% variation over estimated cost, approval of HPC/Steering Committee is required. For any upward variation, either beyond 10% of the estimated cost or of any value above Rs.5.00 cr., recommendation of Technical Screening Committee is required.

महोदय,

कृपया अवगत होना चाहें कि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15.10.2024 को काशी विश्वनाथ व अयोध्या धाम की यात्रा हेतु प्रस्थान करना है। अतः अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15.10.2024 से दिनांक 24.10.2024 तक यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

			required.	
13	Approval of excess in quantity of Bill of Quantities (BOQ) items of works	Project Director, PMU	Full powers (within limit of 10% of the project cost) after recommendation from Technical Committee. Beyond this approval of HPC is must.	Full powers within limit of 10% of the sanctioned cost. Beyond 10% variation over the sanctioned cost, approval of HPC/Steering Committee is required. For any upward variation, either beyond 10% of the sanctioned cost or of any value above Rs.5.00 cr., recommendation of Technical Screening Committee is required.

2. शासनादेश संख्या–86/XXVII (7)/36/2010–11/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते व प्रावधान यथावत रहेगें।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 01-08-2024 11:14:54
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–229367/XXVII(7) ई–67491/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त परियोजना निदेशक, वाह्य सहायतित परियोजनाएं, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
12. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 01-08-2024 11:19:51
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।